रिटर्निंग अधिकारी की मेज़ के लिए

दिन-वार कार्य सूची, सूचनाएँ चस्पा करने की सूची, और संपर्क सूचियाँ

आयोग के आदेशों, पत्रों और मार्गदर्शिका पर आधारित; आयोग के निर्धारित प्ररूप नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं · स्वतंत्र, अनौपचारिक संकलन · आयोग के मूल आदेश और मार्गदर्शिका ही अंतिम

संकलन और ताज़ा फ़ाइल: **mockpoll.com**

इस फ़ाइल में

क्र.	सूची	पन्ना
1	बालोतरा: रिटर्निंग अधिकारी की दिन-वार कार्य सूची (तीसरा और चौथा चरण)	2-4
2	सूचनाएँ चस्पा करने की चेकलिस्ट और समय सारणी	5
3	ज़रूरी संपर्क नंबर: अधिकारी, कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, बूथ के प्रगणक (BLO)	6
4	मतदान दलों के कार्मिकों की संपर्क सूची	7

आधार: आयोग के आदेश और पत्र

सूचियों के "आधार" कॉलम में छोटा नाम लिखा है; पूरा क्रमांक और दिनांक नीचे। नाम पर क्लिक करें, तो mockpoll.com पर उसकी प्रति खुलेगी; छपी प्रति में पता = https://mockpoll.com/panchayat/rajasthan/2026/ के बाद तीसरे कॉलम का नाम।

छोटा नाम	पूरा क्रमांक और दिनांक	प्रति
कार्यक्रम 9836	आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026	orders/9836.pdf
पत्र 10090	आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/10090, दिनांक 06.10.2026 (पहले, दूसरे और तीसरे चरण की समय-सारणी में बदलाव; तीसरे चरण की तारीख़ें इसी से)	orders/10090.pdf
आदेश 9809	आयोग का आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026	orders/9809.pdf
पत्र 1323	आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026 (मतगणना)	orders/cmp-1323.pdf
पत्र 20.10.2026	आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे. 1, दिनांक 20.10.2026 (उप-सरपंच के चुनाव का समय)	orders/upsarpanch-samay-20102026.pdf
आदेश 6251	आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6251, दिनांक 26.12.2019 (लोक सूचना कहाँ लगे)	orders/cmp-6251.pdf
अधिसूचना 4191	आयोग की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4191, दिनांक 17.10.2025 (पंच और सरपंच के चुनाव प्रतीक)	orders/cmp-4191.pdf
पत्र 5096	आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/5096, दिनांक 26.12.2025 (मतदान दलों का गठन)	orders/cmp-5096.pdf
मार्गदर्शिका	मतपेटी वाली मार्गदर्शिका, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 (पृष्ठ = छपा पृष्ठ नंबर)	sources/mgm-2026.pdf

- नियम = राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994; धारा = राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994। धारा 27(2), नियम 65(2) और नियम 66(9) पर क्लिक करें, तो उस पन्ने की प्रति खुलेगी।
- दिन-वार सूची की तारीख़ें: तीसरा चरण पत्र 10090 से (इसने कार्यक्रम 9836 में पहले, दूसरे और तीसरे चरण की समय-सारणी बदली), चौथा चरण कार्यक्रम 9836 से, उप-सरपंच के चुनाव का समय पत्र 20.10.2026 से।
- नाम निर्देशन के दिन के काम, मतपत्र पर नाम हाथ से लिखना और अतिरिक्त पर्चियाँ आदेश 9809 (02.10.2026) के हिसाब से लिखे हैं। इस आदेश में लिखा है कि इसकी प्रक्रिया के बारे में पहले के आदेशों, परिपत्रों और मार्गदर्शिकाओं की बातें उस हद तक लागू नहीं होंगी।
- संपर्क सूचियाँ भरकर मेज़ पर रखिए; इनमें लोगों के मोबाइल नंबर हैं, इसलिए इन्हें नोटिस बोर्ड पर न लगाइए।

बालोतरा ज़िला: रिटर्निंग अधिकारी की दिन-वार कार्य सूची

पंच, सरपंच और उप-सरपंच का चुनाव: तीसरा और चौथा चरण

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

तारीख़ें: तीसरा चरण आयोग के पत्र 10090 (06.10.2026) से, जिसने चुनाव कार्यक्रम 9836 में तीसरे चरण की तारीख़ें बदलीं; चौथा चरण कार्यक्रम 9836 (03.10.2026) के परिशिष्ट-A से। उप-सरपंच के चुनाव का समय: आयोग का पत्र दिनांक 20.10.2026।

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
19.10.2026 सोमवार	31.10.2026 शनिवार		ज़िला निर्वाचन अधिकारी की लोकसूचना (नियम 23 सपठित नियम 56); जानकारी के लिए।	कार्यक्रम 9836
मतदान से कुछ दिन पहले	मतदान से कुछ दिन पहले		रिटर्निंग अधिकारी का पहुँचना। ज़िला निर्वाचन अधिकारी से सामग्री लेकर एक-एक चीज़ मिलाइए। मतदान दलों की सामग्री (परिशिष्ट-7) रिटर्निंग अधिकारी से मतदान दलों को जाती है।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 7, अध्याय-3, बिन्दु 4; पृष्ठ 15, अध्याय-4, बिन्दु 1
02.11.2026 सोमवार	13.11.2026 शुक्रवार		मतदान दलों का प्रस्थान और मतदान केन्द्र पर पहुँचना।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836
03.11.2026 मंगलवार	14.11.2026 शनिवार	सुबह 7:00 से शाम 6:00	ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का मतदान; जानकारी के लिए।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	सुबह 8:00 से 11:00 तक	नाम निर्देशन पत्र लेना, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर (पंचायत भवन, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी का तय किया स्थान)। पत्र लेना, संवीक्षा और नाम वापसी, तीनों एक ही दिन। यह काम रिटर्निंग अधिकारी करेंगे, और उनकी मदद के लिए नियुक्त मतदान दल के वे कार्मिक, जो मतदान अधिकारी की योग्यता रखते हों।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; आदेश 9809
		11:30 से	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836
		दोपहर 2:00 बजे तक	नाम वापसी: अभ्यर्थी ख़ुद आकर, दो प्रतियों में; एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर। मॉडल फ़ॉर्म परिशिष्ट-27 (छपा नमूना सरपंच पद का)।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 35-36, बिन्दु 13
		2:00 बजे के तुरंत बाद	चुनाव प्रतीक देना और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-5) जारी करना: सरपंच की, और हर वार्ड के पंच की अलग; हिन्दी वर्णमाला के क्रम में; प्रतीक भी इसी क्रम में, अधिसूचना 4191 वाले 40-40 में से; सिर्फ़ उन अभ्यर्थियों को, जिनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकार हुआ और जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया। नाम निर्देशन पत्र से जुड़े कागज़ लिफ़ाफ़ा P-1 में रखिए; यह लिफ़ाफ़ा सील नहीं होगा।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; आदेश 9809; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 15
		नाम निर्देशन की प्रक्रिया के बाद	अतिरिक्त पर्चियाँ: योग्य अभ्यर्थियों की गिनती देखकर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी पहली, दूसरी और तीसरी पर्ची ज़रूरत के हिसाब से (ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के अनुसार) तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। प्रतीक 1 से 10 मतपत्र पर छपे हैं; 11 से 20 पहली, 21 से 30 दूसरी, और 31 से 40 तीसरी पर्ची पर।	आदेश 9809
		प्ररूप-5 जारी होते ही	मतपत्र तैयार करना, ग्राम पंचायत स्तर पर ही: मतपत्र पर सिर्फ़ प्रतीक छपे हैं, अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली है। हर प्रतीक के सामने की खाली जगह पर अभ्यर्थी का नाम मतदान दलों के अधिकारी और कार्मिक काले बॉल पेन से लिखेंगे। सरपंच का मतपत्र सफ़ेद, पंच का गुलाबी। मतदान इन्हीं मतपत्रों से होगा।	आदेश 9809
			अभ्यर्थी ज़्यादा हों, तो ज़रूरत के हिसाब से पर्चियाँ मतपत्र के नीचे चिपकाकर एक लम्बा कॉलम बनेगा; जो प्रतीक काम में नहीं आए, उन्हें कैंची या ब्लेड से काटकर अलग कर दिया जाएगा। नोटा का स्टीकर (आयोग का छपवाया) आख़िरी अभ्यर्थी के ठीक बाद वाली जगह पर: जैसे 6 अभ्यर्थी हों, तो मतपत्र पर सातवीं जगह; 12 हों, तो पहली पर्ची की तीसरी जगह। मतपत्र और नोटा के स्टीकर मतदान दलों को ज़िले की चुनाव सामग्री के साथ मिलेंगे (काला बॉल पेन, काला कार्बन, फेविस्टिक, कैंची या ब्लेड, स्टील का स्केल, स्टेपलर, यू-पिन, नीचे रखने को हार्डबोर्ड)।	आदेश 9809

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
05.11.2026 गुरुवार	16.11.2026 सोमवार	सुबह 7:00 से शाम 6:00	पंच और सरपंच का मतदान। शाम 6:00 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँचे मतदाता वोट डाल सकेंगे; मतदान अधिकारी लाइन के आख़िरी मतदाता से पर्चियाँ देंगे।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 21, बिन्दु 22
		मतदान ख़त्म होते ही	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गिनती, रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में। सरपंच की गिनती सारे बूथों की मतपेटियाँ आने पर (पर पंचायत मुख्यालय से बाहर किसी गाँव में बहुत विशेष हालात में बने बूथ की मतपेटियाँ आने में देरी हो, तो अभ्यर्थियों को बताकर बाकी मतपेटियों की गिनती शुरू कर दें); सरपंच के वोट रिटर्निंग अधिकारी ख़ुद या सहायक मतदान अधिकारियों की मदद से गिनेंगे। कौन-सा मतपत्र खारिज होगा, यह फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी का।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; पत्र 1323, बिन्दु 2, 4, 5; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 23, बिन्दु 3; पृष्ठ 37-38, बिन्दु 18(ii)
		हर पद की गिनती पूरी होते ही	परिणाम की घोषणा, प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) में; हस्ताक्षर की हुई प्रति मार्गदर्शिका के बिन्दु 19 में लिखी पाँचों जगह (नाम अगले पन्ने के नीचे)। उस पद के बाकी अभ्यर्थी फिर गिनती की जगह पर न रुकें।	पत्र 1323, बिन्दु 7, 8; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 19
		परिणाम के बाद	जीते अभ्यर्थी को शपथ, प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18) में, ताकि वे उप-सरपंच की बैठक में आ सकें; फिर निर्वाचन प्रमाण-पत्र, और रसीद पर उनके हस्ताक्षर। सरपंच की जमानत लौटाना या ज़ब्त करना।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 20, 21; पत्र 1323, बिन्दु 9
06.11.2026 शुक्रवार	17.11.2026 मंगलवार	सुबह 9:00 बजे से पहले	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस जारी करना: हर चुने पंच और सरपंच को (छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी से; ख़ुद न मिलें, तो घर पर चिपकाइए), और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, मतदान से कम से कम दो घंटे पहले।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 42, अध्याय-7, बिन्दु 4
		10:00 बजे	बैठक शुरू। अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी करेंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं।	पत्र 20.10.2026; धारा 27(2) सपठित नियम 65(2)
		11:00 बजे तक	नाम निर्देशन पत्र लेना।	पत्र 20.10.2026
		11:30 बजे तक	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा।	पत्र 20.10.2026
		11:30 से 12:00 बजे	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और चुनाव प्रतीक देना।	पत्र 20.10.2026
		12:00 से 1:00 बजे	मतदान, अगर ज़रूरत हो। मतपत्र की पीठ पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर; मतदाता मतपत्र मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी के सामने मतपेटी में डालेंगे।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 43, अध्याय-7, बिन्दु 9, 10
		मतदान ख़त्म होते ही	गिनती और परिणाम की घोषणा, प्ररूप-7 में; वोट बराबर हों तो लॉटरी। मतपत्र और कागज़ लिफ़ाफ़ा P-40 और P-41 में।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 44, अध्याय-7, बिन्दु 12, 13
			कार्यवाही का विवरण रिटर्निंग अधिकारी लिखेंगे।	नियम 66(9)
		सब काम पूरा होने पर	सारा रिकॉर्ड परिशिष्ट-15 के लिफ़ाफ़ों में; सील होने वाले लिफ़ाफ़े सील करके, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के अधिकृत अधिकारियों को सौंपिए, और रसीद लीजिए।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39-40, बिन्दु 23, 24(iv)

जानकारी के लिए: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की गिनती 20.11.2026 (शुक्रवार) सुबह 8:00 बजे, ज़िला मुख्यालय पर (कार्यक्रम 9836)।

सूचनाएँ चस्पा करने की चेकलिस्ट और समय सारणी

रिटर्निंग अधिकारी, बालोतरा ज़िला: पंच, सरपंच और उप-सरपंच का चुनाव, तीसरा और चौथा चरण

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

चुनाव कार्यक्रम की तय तारीख़ पर लगनी है: ज़िला निर्वाचन अधिकारी की लोक सूचना (नियम 23 सपठित नियम 56), तीसरा चरण 19.10.2026, चौथा चरण 31.10.2026; पंचायत के सूचना पट्ट पर, और पंचायत के हर वार्ड में एक सहज दृश्य जगह पर (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6251, दिनांक 26.12.2019, बिन्दु 6)। ग्राम पंचायत पहुँचते ही देख लीजिए कि लगी है (सुझाव)।

क्र.	सूचना	कहाँ लगाएँ	तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	आधार	लगाया: समय और हस्ताक्षर
1	मतदान केन्द्र किन भवनों में हैं: नियम 30(3) की सूचना (रिटर्निंग अधिकारी बनाकर प्रकाशित करेंगे), और उसके छपे लेबल	पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो मतदान केन्द्र के भवन पर। छपे लेबल: पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपकाइए। छपा नोटिस (परिशिष्ट-33) सामग्री में आता है: हर मतदान बूथ के लिए 1, और पंचायत कार्यालय पर लगाने को 1 अतिरिक्त।	मतदान से कुछ दिन पहले	मतदान से कुछ दिन पहले	छपे लेबल: ग्राम पंचायत पहुँचते ही	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 3, बिन्दु 7; पृष्ठ 7, अध्याय-3, बिन्दु 4, 4(i); परिशिष्ट-7, क्र. 9 (पृष्ठ 93); परिशिष्ट-33 (पृष्ठ 139)	
2	उपाबन्ध-I-B (परिशिष्ट 6-D), सिर्फ़ सरपंच पद के अभ्यर्थियों का; सबकी जानकारी के लिए	नोटिस बोर्ड पर एक प्रति।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	नाम निर्देशन पत्र के साथ मिलते ही (सुझाव)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 33, बिन्दु 7	
3	नाम वापसी की हर सूचना	एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख जगह।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	सूचना मिलते ही, जितनी जल्दी हो सके (नाम वापसी दोपहर 2:00 बजे तक)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 13(v); नियम 28(4); कार्यक्रम 9836	
4	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्ररूप-5: सरपंच की, और हर वार्ड के पंच की अलग; नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, और प्रतीक भी उसी क्रम में	वार्ड में किसी सहज दृश्य जगह पर: सरपंच की सूची हर वार्ड में 1, पंच की सूची उसी वार्ड में 1; पंचायत कार्यालय पर 1; हर अभ्यर्थी को 1। पूरी पंचायत में सब निर्विरोध चुने जाएँ, तो सिर्फ़ 2 प्रतियाँ: एक पंचायत कार्यालय पर, दूसरी ऑफ़िस कॉपी लिफ़ाफ़े में बंद।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	दोपहर 2:00 बजे के तुरंत बाद	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 15; पृष्ठ 37, बिन्दु 16; नियम 29(3); कार्यक्रम 9836; आदेश 9809	
5	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस (परिशिष्ट-29; छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी से), बैठक का समय (सुबह 10:00 बजे) और स्थान लिखकर	हर चुने हुए पंच और सरपंच को, चाहे वे मौजूद हों या नहीं: ख़ुद तामील कीजिए; न मिलें, तो उनके घर पर चिपकाइए। और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो या बैठक कहीं और हो, तो किसी सहज दृश्य जगह पर। जो सरपंच और पंच वहाँ मौजूद हों, उन्हें बता भी दीजिए।	06.11.2026 शुक्रवार	17.11.2026 मंगलवार	सुबह 9:00 बजे से पहले (पत्र 20.10.2026); नियम: मतदान से कम से कम 2 घंटे पहले	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 42, अध्याय-7, बिन्दु 4; नियम 65(2)	

- परिणाम (प्ररूप-7, परिशिष्ट-10): हस्ताक्षर की हुई प्रति इन पाँच जगह भेजिए: आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नव-निर्वाचित सरपंच; पंचायत कार्यालय (यदि कोई हो); पंचायत समिति कार्यालय (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 19)।
- तारीख़ें: तीसरा चरण आयोग के पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/10090, दिनांक 06.10.2026 से; चौथा चरण कार्यक्रम 9836 से; उप-सरपंच पत्र 20.10.2026 से। कार्यक्रम 9836 = आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026। पत्र 20.10.2026 = आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे. 1, दिनांक 20.10.2026। नियम = राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994। मार्गदर्शिका = मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पृष्ठ = छपा पृष्ठ नंबर)।

ज़रूरी संपर्क नंबर

अधिकारी, कार्यालय, नियंत्रण कक्ष और बूथ के प्रगणक (BLO)। चुनाव से पहले भरकर रिटर्निंग अधिकारी की मेज़ पर रखिए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

अधिकारी और कार्यालय

क्र.	पद / कार्यालय	नाम	मोबाइल नं.	कार्यालय फ़ोन / दूसरा नंबर
1	ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं ज़िला कलेक्टर			
2	ज़िला निर्वाचन कार्यालय का नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)			
3	उपखण्ड अधिकारी			
4	तहसीलदार			
5	विकास अधिकारी, पंचायत समिति			
6	ज़ोनल मजिस्ट्रेट (ZO)			
7	सेक्टर मजिस्ट्रेट / सेक्टर अधिकारी (SO)			
8	सहायक रिटर्निंग अधिकारी			
9	थानाधिकारी, पुलिस थाना			
10	पुलिस नियंत्रण कक्ष			
11	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत			
12	वाहन प्रभारी			
13	नज़दीकी अस्पताल / एम्बुलेंस			
14				
15				
16				

बूथ के प्रगणक (BLO): हर बूथ की एक पंक्ति (मतदान दल के हर कार्मिक का नंबर अगले पन्ने पर)

बूथ सं.	मतदान केन्द्र	प्रगणक (BLO) का नाम	मोबाइल नं.	दूसरा नंबर

भरी हुई सूची कार्यालय के काम के लिए है; इसमें लोगों के मोबाइल नंबर हैं, इसलिए इसे नोटिस बोर्ड पर न लगाइए।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत

पंचायत समिति ज़िला

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतदान दलों के कार्मिकों की संपर्क सूची

हर बूथ के लिए 5 व्यक्तियों का दल: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी (आयोग का पत्र 5096, दिनांक 26.12.2025)।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	पद	कार्मिक का नाम	पद व कार्यालय	मोबाइल नं.
बूथ सं. मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			

बूथ ज़्यादा हों तो इस पेज की और प्रति लीजिए। भरी हुई सूची कार्यालय के काम के लिए है; इसे नोटिस बोर्ड पर न लगाइए।